न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 17/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/62

प्रार्थी:– रमेशकुमार पुत्र कुन्दनमलजी जाति कंसारा, निवासी रोहट, तहसील रोहट जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत रोहट, पंचायत समिति रोहट, जिला पाली
2. मृतक सोनराज पुत्र बस्तीमल जाति कंसारा के कायम मुकाम –
   2/1 रामेश्वरीदेवी पत्नी सोनराज
   2/2 जगदीशचन्द्र पुत्र सोनराज के कायम मुकाम
   2/2/1 झप्पूदेवी बेवा जगदीशचन्द्र
   2/2/2 कैलाश पुत्र जगदीशचन्द्र
   2/2/3 महेन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र
   2/2/4 धर्मेन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र
   2/2/5 जितेन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र
   2/2/6 पूर्णा पुत्री जगदीशचन्द्र
   2/3 श्यामसुन्दर पुत्र सोनराज
   2/4 गोपाल पुत्र सोनराज
   2/5 सीता पुत्री सोनराज
   2/6 चन्द्रा पुत्री सोनराज
   2/7 निर्मला पुत्री सोनराज
   2/8 सरला पुत्री सोनराज़
   जातिगण कंसारा, निवासीगण कंसारों का बास, तहसील रोहट, जिला पाली (राजस्थान)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव।
2. अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 01/67–68, प्रस्ताव दिनांक 30.04.1967 एवं उसकी पालना में सोनराज के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/2/1 से 2/2/6, 2/5 से 2/8 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/8 का ग्राम रोहट के आबादी क्षेत्र में शामलाती भूखण्ड आया हुआ है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा संकल्प संख्या 80 दिनांक 05.08.1962 के जरिये निलामी राशि 192 रूपये में प्रार्थी के पिता कुन्दनमल एवं अप्रार्थी संख्या 2/1 के पति व अप्रार्थी संख्या 2/2 से 2/8 के पिता सोनराज के पक्ष में जारी किया गया था, जिसमें से 1/2 हिस्सा कुन्दनमल एवं 1/2 हिस्सा सोनराज का है। कुन्दनमल ने उक्त रहवासीय भूखण्ड के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 05.10.2011 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में बख्शीश किया था। उक्त भूखण्ड के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी द्वारा छीणों से बाउण्ड्री की हुई है, जिस पर केवल प्रार्थी का ही कब्जा है, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में ठीकाणा रोहट का प्लॉट, पूर्व दिशा में अमलोकजी का मकान एवं पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/8 के पति/पिता का 1/2 हिस्सा आया हुआ है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष न तो आवेदन पेश किया, न ही निर्धारित शूल्क जमा करवाई गई, न ही पंच नियुक्त किये गये, न नक्शा बनाया गया। मिसल की आदेशिका में हस्ताक्षर का अभाव है साथ ही दिनांक 30.04.1968 की आदेशिका में स्पष्ट अंकित है कि उक्त भूखण्ड का पूर्व में पट्टा बना हुआ है। ग्राम पंचायत ने पूर्व से जारी पट्टा सुदा भूखण्ड पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विहित प्रक्रिया की पालना किये बिना विधिविरूद्ध तरीके से पट्टेशुदा भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के अनुसार उक्त भूमि का पूर्व में दो व्यक्तियों के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था जबकि मूल पट्टा केवल एक व्यक्ति के पक्ष में ही जारी किया गया था और उस मूल पट्टे में कुन्दनमल का नाम बाद में कांट छांट करके जोड़ा गया तथा इस पट्टे से सम्बन्धित पुराना रेकर्ड भी न्यायालय हाजा में नहीं भेजा गया है क्योंकि पुराना पट्टा केवल सोनराज के नाम से ही बना हुआ है। पश्चातवर्ती जैर निगरानी पट्टा केवल अतिरिक्त भूमि 32 रूपये की राशि पर जारी किया गया। प्रश्नगत पट्टे की मिसल के सरबरक पर आवेदन पत्र पेश होने और राशि जरिये रसीद संख्या 12 के द्वारा जमा होना अंकित है। अधिवक्ता प्रार्थी जिस पुराने पट्टे का जिक्र कर रहे है, उसके एवं जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस भिन्न भिन्न है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन पेश किया, जिस पर पंचायत द्वारा प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार करवाकर तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया और नियत समय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर समस्त पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिनुसार पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के केवल अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 01/67–68, प्रस्ताव दिनांक 30.04.1967 एवं उसकी पालना में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सोनराज के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टा सुदा भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे के अतिरिक्त भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसमें पट्टा सुदा भूखण्ड शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उज्र किया कि प्रार्थी जैर निगरानी याचिका में प्रभावित पक्षकार नहीं है क्योंकि पुराने मूल पट्टे में केवल सोनराज का ही नाम अंकित है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु उपलब्ध अभिलेखों, दोनों पक्षों के तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण एवं तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 80 दिनांक 05.08.1962 की पालना में सोनराज, कुनणमल के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था। उक्त पट्टे में वर्णित भूमि की सीमाएँ इस प्रकार अंकित हैं – उत्तर दिशा में आम रास्ता 22.5 फुट, दक्षिण दिशा में ठिकाणा रोहट का प्लॉट 22.5 फुट, पूर्व दिशा में अमोलकजी का मकान 30 फुट एवं पश्चिम दिशा में मांगीलाल पुत्र भेरचन्दजी जैन का प्लॉट 30 फुट अंकित है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे में वर्णित भूमि की सीमाएँ – उत्तर दिशा में आम रास्ता 22.5 फुट, दक्षिण दिशा में ठिकाणा रोहट का प्लॉट 22.5 फुट, पूर्व दिशा में अमोलकजी का प्लॉट 40 एवं पश्चिम दिशा में माप 39 फुट है एवं पड़ौस का कोई उल्लेख अंकित नहीं है। दोनों पट्टों में वर्णित पड़ौस का तुलनात्मक परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व दिशा में वर्णित पड़ौस एकसमान है। साथ ही दोनों पट्टों के माप उत्तर एवं दक्षिण दिशा में एक समान है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत पट्टे की मिसल की आदेशिका दिनांक 30.04.1967 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रार्थी के नाम पहले भी पट्टा बना हुआ है। इसके उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे का परीक्षण करने पर यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि उक्त पट्टे में वर्णित सीमाएँ उत्तर एवं दक्षिण दिशा में पूर्ववत समान है, जबकि पूर्व दिशा में माप 40 फुट एवं पश्चिम दिशा में 39 फुट अंकित है। इस प्रकार दोनों पट्टों के तुलनात्मक परीक्षण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि जैर निगरानी पट्टा केवल अतिरिक्त भूमि के लिए पृथक रूप से जारी नहीं किया गया, अपितु पूर्व में जारी मूल पट्टे की भूमि को समाविष्ट करते हुए विस्तारित रूप में सम्पूर्ण भूखण्ड के लिए जारी किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि जैर निगरानी पट्टा केवल अतिरिक्त भूमि (पूर्व में 10 फुट एवं पश्चिम में 9 फुट) के लिए जारी किया गया, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर असंगत एवं अप्रामणित पाया जाता है, क्योंकि यदि ऐसा होंता तो पट्टे में कुल माप केवल उक्त अतिरिक्त भूमि तक सीमित होता, जबकि वास्तविकता में माप पूर्व एवं पश्चिम दिशा में मूल पट्टे के साथ जोड़कर अंकित किया गया है। जहां तक मूल पट्टे में पट्टाधारकों के नाम के सम्बन्ध में विवाद का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया था तथा उसमें सोनराज एवं कुनणमल दोनों के नाम अंकित है। यह तथ्य कि कुनणमल का नाम निर्धारित स्थान से कुछ नीचे अंकित है, केवल प्रपत्र में उपलब्ध सीमित स्थान के कारण है और इससे किसी प्रकार की पश्चातवर्ती प्रविष्टि, कांट–छांट अथवा संशोधन का प्रकट नहीं होता। अतएव यह जाहिर होता है कि मूल पट्टा संयुक्त रूप से दोनों व्यक्तियों के पक्ष में ही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जारी किया गया था। अतः यह तर्क कि मूल पट्टा केवल सोनराज के पक्ष में ही जारी किया गया था। इस प्रकार अप्रार्थी का यह तर्क कि पट्टा केवल सोनराज के नाम से ही निर्गत हुआ था, तथ्य एवं साक्ष्य के विपरीत होने के कारण असंगत, अप्रमाणित होने से स्वीकार्य नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों, सीमाओं तथा माप की समानता से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि दोनों पट्टे वस्तुतः एक ही भूखण्ड से सम्बन्धित हैं। ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की, जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। प्रश्नगत पट्टे की मिसल की किसी भी आदेशिका पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सरपंच के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है, जो कि आदेश की वैधता के लिए अनिवार्य तत्व है। इसी प्रकार, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनोनित पंच के हस्ताक्षरों का अभाव पाया गया है, जिससे यह सन्देह उत्पन्न होता है कि विधि द्वारा अपेक्षित वास्तवित निरीक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, संलग्न नक्शे में केवल भूमि का माप अंकित किया गया है, जबकि चारों दिशाओं में पड़ौस का स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण अंकित नहीं है, जिससे भूमि की पहचान एवं स्थिति का यथार्थ निर्धारण सम्भव नहीं हो पाता। यह भी उल्लेखनीय है कि जारी किए गए

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

पट्टे में पश्चिम दिशा में पड़ौस का स्थान रिक्त छोड़ा गया है एवं पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव है, जो यह दर्शाता है कि पट्टा निर्गमन में आवश्यक विधिक औपचारिकताओं की उपेक्षा की गई है। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन की सामान्य एवं विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में पट्टा जारी किया जा चुका था, जो प्रकरण के समय अस्तित्व में था। ऐसे में उसी भूमि पर पुनः जैर निगरानी आज्ञा पारित कर पट्टा जारी किया जाना विधि के प्रतिकूल है तथा यह दोहरे आवंटन की स्थिति उत्पन्न करता है, जो स्वभावतः अवैध एवं असंवैधानिक है। इसलिये हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 01/67–68, प्रस्ताव दिनांक 30.04.1967 एवं उसकी पालना में सोनराज के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 143 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)